भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2193
09.12.2024 को उत्तर के लिए

ईपीआर फ्रेमवर्क

2193. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि कुछ कंपनियों ने विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 600,000 नकली प्रमाणपत्र जारी किए थे, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इसके लिए उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई शुरू की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए ईपीआर पोर्टल को अद्यतन किया गया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सही है कि अज्ञात ''हैकर्स'' ने कथित तौर पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के ऑनलाइन पोर्टल से कई हजार ईपीआर क्रेडिट चुरा लिए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार ने वर्तमान ऑनलाइन ईपीआर रूपरेखा में शहरी स्थानीय निकायों और अनौपचारिक कचरा संग्रहकर्ताओं के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया है, यदि हां, तो शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में योगदान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार पंजीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं की यादृच्छिक संपरीक्षा की थी। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं की यादृच्छिक संपरीक्षा के दौरान अनियमितताएं पाई गईं। तदनुसार, सीपीसीबी ने दिनांक 26.10.2023 को नियत अपेक्षाओं के अनुरूप न बनने वाले ईपीआर प्रमाण-पत्रों की मात्रा के अनुरूप पर्यावरण क्षतिपूर्ति (ईसी) लगाने और उल्लंघन करने वाले प्लास्टिक

अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं (पीडब्ल्यूपी) के खिलाफ लागू कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु संबंधित एसपीसीबी को निर्देश जारी किए थे। दिनांक 20.11.2023 को भी सभी एसपीसीबी/पीसीसी को अपने राज्य में पंजीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं की प्रसंस्करण सुविधाओं की पुनः जांच करने और पंजीकृत पीडब्ल्यूपी की ईपीआर प्रमाण-पत्र तैयार करने की प्रक्रिया की नियमित निगरानी करने के निर्देश जारी किए गए ताकि तैयार किए गए ईपीआर प्रमाण पत्र वैधानिक अपेक्षाओं और दिशानिर्देशों के अनुसार हों।

(ग) प्लास्टिक पैकेजिंग संबंधी केंद्रीकृत ईपीआर पोर्टल की सुरक्षा बढ़ाने और अनधिकृत गतिविधियों को रोकने के लिए ईपीआर पोर्टल पर निम्नलिखित उपाय लागू किए गए:

1. अनिवार्य रूप से पासवर्ड अपडेट करना
2. टू-फैक्टर प्रमाणीकरण
3. पासवर्ड रीसेट
4. लॉगिन रेस्ट्रिकशंस
5. कैप्चा लागू करना
6. रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस पोस्ट-अपडेट्स
7. यूनिक कांटेक्ट इन्फोर्मेशन
8. ईपीआर प्रमाण-पत्र सुरक्षा प्रोटोकॉल

(घ) प्लास्टिक पैकेजिंग संबंधी केंद्रीयकृत ईपीआर पोर्टल पर अपने वॉलेट से ईपीआर प्रमाण-पत्रों के अवैध अंतरण के संबंध में पीआईबीओ/पीडब्ल्यूपी से प्राप्त कुछ शिकायतों के आधार पर, सीपीसीबी ने इस संबंध में जांच करने के लिए इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) के पास दिनांक 2.2.2024 और 22.3.2024 को दो शिकायतें दर्ज की हैं।

(ङ) ईपीआर, स्थानीय निकायों के लिए राजस्व सृजन का एक अभिनव तरीका है। चूंकि स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में अपशिष्ट के संग्रहण का कार्य कर रही हैं, इसलिए ईपीआर तंत्र स्थानीय निकायों को उनके द्वारा एकत्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट से राजस्व सृजन का माध्यम प्रदान करता है, जिसके लिए वे उसे पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को बेच सकते हैं या अपने स्वयं के नाम से ईपीआर प्रमाण-पत्र बना सकते हैं, जिसे ईपीआर उत्तरदायित्व वाले उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को बेचा जा सकता है। वे अपनी पुनर्चक्रण सुविधाएं संस्थापित करके या पुनर्चक्रकों के साथ कोई व्यवस्था निर्धारित करके ऐसा कर सकते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण और परिवहन की लागत को पूरा करने के लिए वे अन्य तरीके भी अपना सकते हैं। ईपीआर उत्तरदायित्वों के कार्यान्वयन के लिए अनौपचारिक क्षेत्र से प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की सोर्सिंग अनौपचारिक क्षेत्र के एकीकरण के लिए एक तंत्र प्रदान करती है। 157 शहरी स्थानीय निकायों ने प्लास्टिक पैकेजिंग संबंधी केंद्रीकृत ईपीआर पोर्टल पर पहले से ही पंजीकरण कराया है।

*****